International Journal of Academic Research
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License [CC BY 4.0]

P-ISSN: 2348-7666: Impact Factor: 7.215
Homepage: https://www.ijar.org.in/
Volume-13, Issue-2(2), Apr-Jun-2026

विकसन शील देश की प्रगति - बहु भाषिक सामाजिक भाषा नीति

DR. T. ARUNA KUMARI
HEAD & ASSOCIATE PROFESSOR, DEPARTMENT OF HINDI, GOVERNMENT DEGREE COLLEGE (A), PALONCHA, TELANGANA.

सार:

देश के विकास में भाषा की अहमियत अगण्य है। विकसन शील देशों में विशेष कर बहु भाषिक क्षेत्रों में भाषा नीति सामाजिकता का प्रतिबिंब है। संप्रेषण एवं भावाभिव्यक्ति के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत विकसन शील देश है और रहेगा। भारत में भाषाई भिन्नताएँ विद्यमान हैं। कुछ अलिपित भाषाओं को भी यहाँ सुनते हैं। भिन्न भाषाओं के देश में हर भाषा को महत्व देना सरकार का कर्तव्य है अतः बहुभाषिक सामाजिक प्रदेशों में विकास के अभियान भाषा केंद्रित हो सकते हैं, नीति-नियम, कायदे-कानून इस नींव पर बनाए जाते हैं। देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषिक उन्नयन सुनिश्चित होता है, सामाजिक समता, सामाजिक न्याय इस नीति के बगैर सिद्ध नहीं होते। भारतीय भाषा नीति संवैधानिक प्रावधानों के निर्माण करने में, प्रशासनिक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबत करने में बहुभाषिक सांस्कृतिक व्यावहारिकता पर निर्भर करती है। संविधान में सूचित भारतीय भाषाओं का देश के विकास में योगदान अविस्मरणीय है। शिक्षा के क्षेत्र में भाषा नीति हर राज्य के लिए अलग-अलग होता है।

प्रमुख शब्द: भाषा नीति, नई शिक्षा नीति, बहुभाषिक शिक्षण सामग्री, भारतीय संविधान, विभिन्न क्षेत्र, आधुनिक तकनीकी की सुविधाएँ

देश के विकास में भाषा की अहमियत या योगदान को लेकर तरह-तरह के सवाल उठाए जाते हैं, इनमें प्रमुख है विकसन शील देशों में विशेष कर बहु भाषिक क्षेत्रों में भाषा नीति क्या हो? विद्वानों का मानना है कि भाषा मात्र संप्रेषण माध्यम नहीं है। किसी भी देश में भाषा जनता की संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास का धरोहर माना जाता है।

हिन्दी साहित्य संगम में माना गया है कि "भाषा व्यक्तियों के समूह या समुदाय के पारस्परिक संप्रेषण का एक सु व्यवस्थित माध्यम होती है। समाज व समुदाय का समस्त चिंतन, प्रयोग एवं निष्कर्ष उसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है। समाज के अभाव में मनुष्य अपना अस्तित्व नहीं बना सकता क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है। इस अस्तित्व का स्थापित करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आना अनिवार्य है। विचार-विनिमय के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है वह है भाषा। भाषा भावाभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है। अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषा के दो रूप सामने आते हैं मौखिक और लिखित।"(1)

अर्थात देश का हर काम देश की भाषा में ही की जाती है। आर्थिक विकास, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक बदलाव, धार्मिक उन्नयन, शिक्षा का निर्देशन वगैरह हर करम में भाषा का योगदान एवं प्रभाव अविस्मरणीय है। भाषा की मानसिकता में प्रजा की चेतना निहित होती है। प्रमुख भाषा वैज्ञानिक *श्याम मनोहर* जी का मानना है 'समाज की सभ्यता का अर्थ है जीवन के व्यवहारों को सरल सुलभ बनाने वाली भाषा'।

कुछ विद्वान बोलचालीन एवं काम चलाऊ भाषा को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं तो कुछ सुव्यवस्थित भाषा की ओर संकेत करते हैं। आधुनिक युग समाचार क्रांति का वैज्ञानिक युग है। इस युग में वैश्वीकरण के जो प्रस्ताव देशों के सामने लाए गए हैं उन्हें अपनाते हुए आगे बढ़ना हर प्रदेश के लिए आवश्यक बन गया है। राजनीतिक परिस्थितियाँ पहले से ही मजबूत होते हुए इस मुद्दे को आगे ला रहे हैं। भिन्नता को अपना पहचान बनाकर चलने वाले प्राचीन समाज एवं सभ्यता के लिए आज यह चुनौती स्वीकारनी ही पड़ी कि उनकी भाषा नीति क्या हो? विशेष कर भारत जैसे उपमहाद्वीप के लिए।

International Journal of Academic Research
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License [CC BY 4.0]
P-ISSN: 2348-7666: Impact Factor: 7.215
Homepage: https://www.ijar.org.in/
Volume-13, Issue-2(2), Apr-Jun-2026

भारत विकसन शील देश है और रहेगा। विश्व की जनसंख्या में अत्यधिक प्रतिशत भारत में वास करते हैं। जैसे शरीर के अंग भिन्न-भिन्न पर देह एक, वैसे ही भारत की एकता को उसकी भिन्नता ही प्रदर्शित करती है। वेदकाल से जो प्रथा भारत में प्रचलित है भिन्न भाषीयता का, आज भी मौजूद है और हर कदम पर इसका रूप प्राप्य है। अतः देश में यह कहावत प्रसिद्ध हुई कि *"कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर बानी"* अर्थात भाषा एक भौगोलिक एवं प्रादेशिक मुद्दा है। जैसे कुछ ही दूरी पर पानी का स्वभाव, स्वाद एवं रूप बदलता है इसी तरह दो-तीन गाँवों के बाद भाषा का स्वरूप भी बदलता रहता है। भाषा की अनेक बोलियों का होना भारतीय भाषाओं की एक विशेषता है।

भाषाविदों का मानना है कि भाषा परिवर्तन के अनेक कारण हैं जिनमें मानवीय प्रयत्न, आवासीय विशिष्टता, प्रकृति, जीव-जंतु का प्रभाव प्रमुख है। अतः भारत में समान रूप से सुनाई देने वाली, बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली भाषओं को देखते हैं फिर भी उनमें अनेक प्रकार की भिन्नताएँ विद्यमान हैं। कुछ अलिपित भाषाओं को भी सुनते हैं, जिनका प्रचार प्रसार अधिक मात्रा में न होने पर भी लोगों में दैनंदिन जीवन यापन के लिए इनका विनिमय जरूर हो रहा है। जिस प्रकार भाषा को व्यक्ति अपनी पहचान, बातचीत करने का जरिया एवं रसास्वादन का वाहक समझता है वैसे ही देश की आत्मा भी भाषा के माध्यम से प्रस्फुटित होती है। *फ्रांसीज फ़ैनन* का मानना है 'भाषा बोलना एक दुनिया और एक संस्कृति को अपनाना है'।

भिन्न भाषाओं के देश में हर भाषा को महत्व देना राजा या सरकार का कर्तव्य बनता है। इतिहास साक्षी है कि भारत के सुप्रसिद्ध राजा भाषाई विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। भाषा को जिताने के लिए उन्होंने कवियों और साहित्यकारों के आश्रयदाता बनकर उन भाषाओं में साहित्य सृजन करवाया। फलतः कुछ भाषाएँ लिपिबद्ध हुई; कुछ की दिशा एवं दशा ही बदल गई। हिन्दी में अवहट्ट भाषा से की गई विकास पर ध्यान देने से पता चलता है कि खड़ीबोली हिन्दी आसमान से टपकी नहीं बल्कि दिन व दिन विकसित एक महान भाषा है। ब्रज, अवधि, डिंगल, पिंगल, राजस्थानी से होते हुए हिन्दी ने जो यात्रा आरंभ की है वह आज करोड़ों शब्दों युक्त, मुहावरेदार, कवितात्मक, प्रयोजनमूलक पावन गंगा बनाकर कवियों-साहित्यकारों की झोली भरती आई है।

महान भाषाविद 'भोलानाथ तिवारी' का मानना है कि प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है, उसकी अलग संरचना होती है। शुद्ध रूप में शब्दों का प्रयोग नियमानुसार हो उसे व्याकरण युक्त स्वच्छ भाषा कहते हैं। आप यह भी मानते हैं कि हर भाषा का स्पष्ट या अस्पष्ट एक मानक रूप होता है, जातीय मनोवृति के कारण भी भाषा में परिवर्तन होता है। संस्कृतियों का सम्मेलन भाषा परिवर्तन एवं भाषा विकास में योगदान देती है।

बहुभाषिक सामाजिक प्रदेशों में विकास के अभियान भाषा केंद्रित हो सकते हैं, नीति-नियम, कायदे-कानून इस नींव पर बनाए जाते हैं तो देश का विकास युगानुरूप हो सकता है। फलतः देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषिक उन्नयन सुनिश्चित होता है, सामाजिक समाता, सामाजिक न्याय इस नीति के बगैर सिद्ध नहीं होते।

देश की भाषा नीति भारत के बहु भाषीय स्वरूप के आधार पर संरचित की गई है। भारतीय भाषा नीति संवैधानिक प्रावधानों के निर्माण करने में, प्रशासनिक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबत करने में बहुभाषिक सांस्कृतिक व्यावहारिकता पर निर्भर करती है। भारत में भाषा नीति के संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं -- धारा 343 के तहत हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। धारा 351 हिन्दी के प्रसार समृद्धि और विकास पर बोल देता है, जो भारत के समग्र सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है।

"Part XVII of the Constitution deals with the Official Language in Articles 343 to 351. The Constitution contains the following provisions in respect of the Official Language of the Union.
Hindi written in 'Devanagari' script is to be the Official Language of the Union." (2)

इन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप 14 सितंबर 1949 को राजभाषा अधिनियम बनाया गया है। 1971 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक हिन्दी मानक शब्दों का निर्माण किया गया है और वह काम आज भी जारी है। राजभाषा अधिकारी एवं अनुवादकों की नियुक्ति की गई है। 1955 में राजभाषा आयोग के द्वारा राज्य के कर्मचारियों को हिन्दी सीखना अनिवार्य किया गया है। केंद्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ उपक्रम, निगम एवं बैंकों में हिन्दी टंकण एवं कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति का आयोजन भी हुआ है।

"According to the constitution of India chapter 2 article 345 is official language are language of state 346 official language for communication between state and another are between a state and the union. Chapter III language for courts and chapter 4.8 special Directives for the language. 350 Article about language to be used in representation for redress or grievances. 350 A facilities for instruction in mother tongue at primary stage. 350B special offer for linguistic minorities." (3)

भारतीय संविधान में भाषाई भेद के प्रति स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। किसी एक भाषा को महत्व न देते हुए हरेक भाषा को विकसित होने के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। एक राज्य दूसरे राज्य से सम्प्रेषण करते समय किस भाषा का विनिमय करना हो,,, वैसे ही न्यायपालिकाओं की भाषा कया हो आदि सभी विषयों पर स्पष्ट रूप से संविधान में निर्देशित हुए हैं।

"भारत बहुभाषी, बहुत सांस्कृतिक और बहु धार्मिक देश है। इसका विविध भाषा-भाषी सौंदर्य अनुपम है। ये सभी भाषाएँ भारतीय जीवन का अंग-उपअंग हैं। भारत की समग्र सांस्कृतिक चेतना के विस्तार का सशक्त माध्यम हिन्दी ही बनी। अपनी भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूँगा ही माना जाता है। राष्ट्र के उन्नयन का मार्ग भाषा ही प्रशस्त करती है"। (4)

भारत की बहु भाषिकता को लेखक सांस्कृतिक विरासत एवं भौगोलिक वैभव का चिह्न मानते हैं। महान हिन्दी कवि भारतेन्दु निज भाषा उन्नति के प्रति कटिबद्ध रहने की सूचना देते हैं।

At present by 8 schedule of the Constitution specify 22 languages .. they are Assamese, Bengali, Goudi, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, and Urdu by the Amendment Act. (5)

संविधान में सूचित भारतीय भाषाओं का देश के विकास में योगदान अविस्मरणीय है। शिक्षा के क्षेत्र में भाषा नीति हर राज्य के लिए अलग-अलग होता है। कुछ प्रदेशों में केवल मातृ भाषा को प्रोत्साहित करते हैं, तो कुछ प्रदेशों में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ राजभाषा के रूप में हिन्दी के विनिमय पर बल देते हैं। कुछ क्षेत्रों में राज्य भाषा के तौर पर अंग्रेजी को अपनाया गया है। इस प्रकार भारत के क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को अमल में लाया गया है कि एक मातृ भाषा, राज भाषा हिन्दी एवं अंग्रेजी को विद्यार्थी सीखें। उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के बाद वह भाषा को स्वइच्छा के साथ चुन सकता हैं। यहाँ उसे भारतीय भाषाओं के साथ-साथ कुछ विदेशी भाषाएँ भी ऐच्छिक रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। विदेशी भाषा सीखकर कर विद्यार्थी विदेशी संस्कृति, रीति-रिवाज, साहित्य आदि को पहचान सकता है, सीख सकता है। उसकेलिए रोजगार के अवसर भी सुलभ प्राप्य हो सकते हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 के (Multilingualism and the power of language) 'बहु भाषिकता एवं भाषा का महत्व' नामक उप विभाग 4.11. में स्पष्ट चित्रित है --

"It is well understood that young children learn and grasp nontrivial concepts more quickly in their home language/mother tongue. Home language is usually the same language as the mother tongue or that which is spoken by local communities. However, at times in multi-lingual families, there can be a home language spoken by other family members which may sometimes be different from mother tongue or local language. Wherever possible, the medium of instruction until at least Grade 5, but preferably till Grade 8 and beyond, will be the home language/mother tongue/local language/regional language. Thereafter, the home/local language shall continue to be taught as a language wherever possible." (6)

नई शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाने पर बल दिया गया है, फिर भी विद्यार्थी को अन्य भाषा सीखने केलिए प्रेरित किया जा रहा है। केवल एक भाषा को प्रोत्साहित करना बहुभाषिक समाज जैसे दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, भारत आदि के लिए अति समस्यात्मक हो सकता है। अर्थात भाषा के नाम पर असमानता बढ़कर सामाजिक क्रांति या असंतुलन फैल सकता है। किसी भी भाषा को संवैधानिक रूप से तिरस्कृत करते हैं तो आदिवासी, पहाड़ी, अल्पसंख्यक, समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुँच सकता है। वह खुद को मुख्य धारा से कटते जाने का बोझ ढोते रहते हैं। अतः यहाँ बहु भाषिक नीति को अपनाना समाज एवं सरकार का कर्तव्य होगा।

सभी भाषाओं की रूपरेखा, संरचना एवं प्रयोग के अनुरूप तकनीकी उपकरण एवं निर्देश तैयार करना भाषा वैज्ञानिकों का कर्तव्य है। मानक भाषा परिषद या समिति के माध्यम से अनावश्यक या अनुपयुक्त अक्षर एवं ध्वनियों को हटाना और युगीन संदर्भों के अनुकूल वर्ण, शब्द एवं ध्वनियों को सूचित करना होगा, ध्यान रहे कि इससे भाषा के मौलिक स्वरूप को ठेस न पहुँचे। क्योंकि भाषा के द्वारा ही लोग प्रशासनिक एवं न्याय संस्थानों पर चलने वाले कार्यकलापों को समझते हैं, उनमें भागीदार होते हैं। आर्थिक विकास में बहुभाषी समाज अत्यंत तेजी से आगे बढ़ सकता है चूँकि हर भाषा में आर्थिक गतिविधियों का समाचार प्राप्त होता है साथ-साथ वाणिज्य एवं व्यापार के क्षेत्र में लोग अपने भाषाई बल पर विकास के राह बिछाते हैं।

पर्यटन के क्षेत्र में तो बहु भाषिक नीति अत्यंत सफल एवं उपयोगी सिद्ध होती है। स्थानीय विशेषताओं के साथ आहार-भोजन विधियों का प्रदर्शन रोजगार का माध्यम बनता है जो भाषा के द्वारा सहज सुंदर एवं समयानुकूल होता है। सामाजिक भिन्नता के द्वारा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना भारत का अति प्राचीन आदत है। भारतीय सांस्कृतिक धरातल इतना विस्तृत है कि इसमें समस्त वैश्विक संस्कृतियाँ समा जाती हैं तो भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक भिन्नताएँ यहाँ अवश्य एकता की ओर ही इंगित करती हैं। बहुभाषिक समाज में हर भाषा को पढ़ना-पढ़ाना अत्यंत

दुर्लभ है क्योंकि आवश्यक संसाधनों एवं प्राविधानों की कमी लक्षित होती है साथ-साथ प्रशिक्षित अध्यापक एवं साहित्यकारों की कमी भी देखी जाती है। प्रशासन में इतनी सारी भाषाओं को अपनाना न मुमकिन है, कभी-कभी इतनी सारी भाषाओं में अनुवाद कृतियाँ तैयार करना भी मुश्किल हो जाता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अपने विचारों को परिवर्तित करना, सही तरीके से उन्हें प्रस्तुत करना हर व्यक्ति के लिए आसान प्रक्रिया नहीं होती।

बहुभाषिक शिक्षण सामग्री तैयार करना कुछ हद तक इस समस्या का समाधान बन सकता है। प्रशिक्षण प्रबंधन बढ़ाने से अध्यापक आवश्यक शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थियों को भी अन्य भाषाओं के प्रति रुचि जगा सकते हैं। सरकार की ओर से जब स्थानीय या हशिए की भाषओं को प्रोत्साहन प्राप्त होता है, उनमें रचनाकर्मी अपने हाथ चलते हैं और समृद्ध साहित्य का सृजन करते हैं।

आधुनिक तकनीकी युग की सुविधाओं के विनिमय करके बहुभाषिक व्यवहार कुछ हद तक आसान भी बन सकता है। बहुभाषिक प्रदेशों में अनुवाद का महत्व सर्वाधिक है। हर भाषा की भावनाओं, विचारों एवं व्यावहारिकता को दूसरे भाषा में आवश्यकतानुसार यथातथ प्रस्तुत करना अनुवाद का काम है। व्यापार के क्षेत्र में इसकी प्रगति अविस्मरणीय सिद्ध हुआ है। विषय के माध्यम से भाषाओं की आत्मा तक अनुवाद के द्वारा पहुँच सकते हैं। अतः आधुनिक तकनीकी के सभी उपकरणों में संबंधित अनेक आविष्कार हो रहे हैं कि श्रोता द्रष्टा या उपभोक्ता को भाषा के जरिए कोई भी दिक्कत महसूस न हो।

साहित्य के क्षेत्र में भाषा के बगैर कुछ सोचा नहीं जा सकता, लिखा भी नहीं जा सकता। कवि एवं रचनाकार सिर्फ एक भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना, मानवता, समता-समानता आदि बहुमूल्य संवेदनाओं का जो व्यक्तीकारण उनके माध्यम से होता है उसके पीछे बहुभाषिक मानसिकता एवं प्रभाव विद्यमान है। सामाजिक प्राणी मानव खुद को समाज, देश एवं मानवता से सादा जुड़ा रखने का ही प्रयास करता है इसके उदाहरण भारतीय साहित्य में पग-पग पर प्राप्त हैं।

मनोरंजन के क्षेत्र में बहुभाषिक विकास चकाचौंध कर रहा है। हर प्रदेश के स्थानीय विशेषताओं, रीति-रिवाज, आचार-व्यवहार, काम करने की विधियाँ, वस्त्र-आभूषण, घर-बाहर की सजावट, त्यौहार,,,,,,, गिनते जाना है हमें कि मानवीय कार्य कालापों से संबंधित हर पहलू पर भाषा की जो छाया है आज बहुभाषिक हो चुकी है। सुदूर उत्तर से लेकर दक्षिण के अखाड़े तक व्याप्त भारतीय समाज में तो यह रोज-रोज का अभ्यास है कि किस दिशा पर कौन सी विशेषता है, उसे देखा, परखा जा रहा है और वैश्विक पटल पर उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। जो भी क्षेत्रीय या स्थानीय खासियत है उसे सुव्यवस्थित रूप से जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। समाचार के क्षेत्र में तो बहभाषिक दायरा इतना विस्तृत है कि ऐसा एक भी बिंदु नहीं है जो उसमें समा न गया हो। अतः पूरे प्रदेश के हर रेणु का, हर बूँद का लोग आस्वादन कर रहे हैं जिसका माध्यम है भाषा।

देश का बहु भाषी होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। सौभाग्य की बात है कि अत्यंत महत्वपूर्ण बहु भाषिक मानसिकता एवं अवसर हमें प्राप्त हुए हैं इनको विश्व व्याप्त करते हुए विकसित होने के द्वार खोलकर हमें संसार के सामने सर उठाकर खड़ा होना होगा तभी सिद्ध होगा कि भारत विश्व गुरु है।

उद्धरण

1. हिन्दी साहित्य संगम - तेलुगू अकैडमी - हैदराबाद - पृ 2
2. Indian Polity M. Lakshmi Kanth- 4th Edition 2013 MC Graw Hill Education (India) Private Limited New Delhi ISBN 978-1-25-906412 -8, 58.3 page number
3. Indian Polity M. Lakshmi Kanth- 4th Edition 2013 MC Graw Hill Education (India) Private Limited New Delhi ISBN 978-1-25-906412 -8 , 58.3 page number
4. हिन्दी साहित्य संगम - तेलुगू अकैडमी - हैदराबाद - पृ 1
5. The Constitution of India - Prakash Books - ISBN 978 935 856 0749
6. Document of NEP 2020 from Internet

संदर्भ

1. हिन्दी व्याकरण - राजेसवार प्रसाद चौदरी - उपकार प्रकाशन - आगरा
2. भाषा विज्ञान - भोलानाथ तिवारी - किताब महल - नई दिल्ली
3. मुक्त स्रोतों से -- विभिन्न पुस्तक एवं सामग्री